मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5066

04.04.2022 को उत्तर के लिए

घास के मैदानों का प्रबंधन

5066. कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बुन्देलखंड सहित देश में घास के मैदानों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या समुचित देखभाल तथा इन पर अवैध कब्जों के कारण इन घास के मैदानों की स्थिति खराब है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा घास के मैदानों के समुचित प्रबंधन के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (घ): घास के मैदानों का प्रबंधन और सुरक्षा मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र द्वारा तैयार की गई मरुस्थलीकरण और भू-अवक्रमण मानचित्रावली (2011-13) के अनुसार देश में वर्ष 2003-05 से अवक्रमित घास के मैदानों/चरागाहों के क्षेत्रफल में 0.99 मिलियन हे. की वृद्धि हुई है। मंत्रालय द्वारा घास के मैदानों सहित वन्यजीव पर्यावासों के समुचित प्रबंधन हेतु किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. हरित भारत मिशन के अंतर्गत, घास के मैदानों की पुन:बहाली की श्रेणी के तहत वर्ष 2015-16 से 4495.70 हे. के क्षेत्रफल पर वृक्षारोपण किया गया है।

ii. राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण-विकास बोर्ड (एनएईबी) जन सहभागिता के माध्यम से अवक्रमित वनों और निकटवर्ती क्षेत्रों की पारिस्थितिकी पुन:स्थापन के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। एनएपी के तहत सात पौधरोपण मॉडल में से एक 'सिल्वीपाश्चर विकास' नामक मॉडल अवक्रमित वनों के अंदर भारतीय घास के मैदानों में पौधरोपण को बढ़ावा देता है। वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक की अवधि के दौरान सिल्वीपाश्चर के विकास के लिए 8413 हेक्टेयर का क्षेत्र स्वीकृत किया गया है।

iii. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत घास के मैदानों सहित वन्यजीवों और उनके पर्यावासों की सुरक्षा के लिए पूरे देश में संरक्षित क्षेत्रों अर्थात् राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, संरक्षण रिजर्वों और सामुदायिक रिजर्वों को अधिसूचित किया गया है।

iv. मंत्रालय द्वारा घास के मैदानों सहित वन्यजीव पर्यावासों की सुरक्षा के लिए वन्यजीव पर्यावासों का विकास, बाघ परियोजना और हाथी परियोजना की केन्द्र-प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

मंत्रालय में देश में घास के मैदानों की संख्या के संबंध में सूचना एकत्रित नहीं की जाती है।

*****